न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

प्र0सं0, 303/2024, (जी.सी.एम.एस. न. 2014/00066) व इजलास हेमन्त कुमार

(R.A.S)

उनवान

1. घनश्याम
2. रामलाल
3. मौहरसिंह
4. उदयसिंह
5. गुलजारी

पुत्रगण हरगुन जाति फौजदार नि0 सिनसिनी तहसील डीग(भरतपुर)राज0 (मृतक)

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला भरतपुर(राज0)

—प्रति0

दावा बावत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय दिनांकः 20.01.2023

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ. ख. नम्बरान 3499/0.51, 3500/0.29, 3501/0.31 वाके ग्राम सिनसिनी तहसील डीग में स्थित है, में वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है। आराजी मुतदाविया वादीगण के पिता हरगुन की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी,हरगुन फौत हो गया है और हरगुन के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ जिनको गैर खातेदार गलत रूप से दर्ज किया जा रहा है। जबकि वादीगण आराजी मुत0 पर खातेदारी की हैसियत से 50 सालों से काबिज चले आ रहे है और वादीगण आराजी मुत0 पर खातेदारी करा पाने के अधिकारी है। आराजी मुत0 पर पहले वादीगण के पूर्वज व उनके वाद वादीगण निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है जिसके बाबजूद वादीगण को आराजी मुत0 पर गैर खातेदार दर्ज कर रखा है। आराजी मुत0 पर खातेदारी कराने हेतु एक नोटिस दफा 80जा.दी. के तहत दिनांक 10.07.2014 को दिया गया।

Scanned by AnyScanner

अतः निवेदन है कि आ.ख.नम्बरान 3499/0.51, 3500/0.29, 3501/0.31 वाके ग्राम सिनसिनी तहसील डीग पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है व इन्द्राज काश्त जो राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार का दर्ज हो रहा है, को कलमजन होकर वादीगण को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 21.12.2016 को वादीगण संख्या 5,गुलजारी के फौत होने पर वादीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. पेश किया गया जिसे स्वीकार किया। वादीगण संख्या 5,गुलजारी लाविला औरत फौत होने के कारण वकील वादीगण ने निवेदन किया गया कि वादीगण संख्या 5गुलजारी के आगे मृतक शब्द अंकित जावे। दिनांक 17.10.2019 को वादीगण संख्या 5,गुलजारी के आगे मृतक शब्द अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

दिनांक 16.12.2019 को जबाव पैरोकार सरकार पेश हुआ। प्रस्तुत जबाव सरकार का अध्ययन किया गया। जबाव सरकार में वर्णित किया गया है कि वादीगण मुताविक रिकार्ड गैर खातेदार दर्ज है। मुताविक वादीगण को तथा उनके पिता को गैर खातेदारी के बारे में पूर्व में ही जानकारी थी। कब्जे काश्त सम्बन्धी सबूत के अभाव में खातेदारी नहीं दी जा सकती है, अतः दावा खारिज योग्य है।

साक्ष्य वादीगण में दिनांक 15.11.2022 को वादीगण संख्या 2 का शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर बयान दर्ज किये गये।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी खेवट सम्बत 2022—2025 प्रदर्श पी—1,2, जमाबन्दी खतौनी सम्बत 2066—2069 प्रदर्श—3, नोटिस 80 जा.दी. प्रदर्श—4, मिलान क्षेत्रफल भू—प्रबंध विभाग प्रदर्श—5, नकल दावा डिक्लेरेशन नम्बर 135/70, प्रदर्श—6,7, नकल निर्णय दावा नम्बर 135/70, प्रदर्श—8, तथा जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्बत 2074—2076,खसरा गिरदावरी खरीफ सम्बत 2079, 2075 प्रस्तुत किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया गया तथा वकील वादीगण के द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। बहस के दौरान वकील वादीगण ने दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वताया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट, नम्बर 135/1970, के निर्णय/डिक्री दिनांक 11.08.1970 से वादीगण को वाहैसियत मुद्दा0 काश्तकार घोषित किया गया। परन्तु फिर भी राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गैर

Scanned by AnyScanner

खातेदार दर्ज किया हुआ है। वादीगण आराजी मुत0 पर खातेदार की हैसियत से 50 सालों से काबिज चले आ रहे है जिसकी पुष्टि सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड से बखूवी हो रही है।ऐसी स्थिति में दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश फरमायें।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन अनुसार वादीगण को पूर्व में जरिये निर्णय/डिक्री दिनांक 11.08.1970 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग ने वाहैसियत मुद्दा0 काश्तकार घोषित किया गया है, के आधार पर हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टि0 एक्ट, को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :—

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य तथा पूर्व में पारित आदेश/डिक्री दिनांक 11.08.1970 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के आधार पर स्वीकार किया जाता है। आ.ख.नम्बरान 3499/0.51, 3500/0.29, 3501/0.31 वाके ग्राम सिनसिनी तहसील डीग बावत आराजीयात के सम्बन्ध में तहसीलदार डीग को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण व सम्बन्धित विधिक वारिसान की जॉच कर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरांत वादीगण/विधिक वारिसान के हक में गैर खातेदार के स्थान पर खातेदारी के इन्द्राजात करावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

Scanned by AnyScanner